न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

निगरानी संख्या 10/2023

ग्राम पंचायत जेठाना जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जेठाना, पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री नारायण गोल्या पुत्र श्री छोटू गोल्या जाति जाट निवासी ग्राम जेठाना, पंचायत समिति पीसांगन जिला अजमेर

.....गैर निगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम 1994 विरूद्ध सरपंच, ग्राम पंचायत जेठाना द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 बुक संख्या 706 दि. 07.02.2022 जारी दिनांक 13.05.2022

उपस्थित :–

1– श्री राजीव सक्सेना, वकील निगरानीकर्ता की ओर से

2– श्री रूपक शर्मा, अप्रार्थी की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक– 27/11/2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि यह निगरानी, ग्राम पंचायत जेठाना पंचायत समिति पीसांगन द्वारा श्री नारायण गोल्या पुत्र श्री छोटू गोल्या के पक्ष में जारी आबादी भूमि का पट्टा – पट्टा संख्या 10, बुक संख्या 706 दिनांक 07.02.2022 जारी दिनांक 13.05.2022 को त्रुटिपूर्ण जारी होना बताते हुए उक्त पट्टे को गैर कानूनी व अवैद्य बताते हुए उक्त आक्षेपित पट्टे को निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

निगरानी प्राप्त होने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट के नाम नोटिस जारी किये जाकर आक्षेपित पट्टे से सम्बन्धित ग्राम पंचायत जेठाना का रिकॉर्ड मगंवाया गया एवं तहसीलदार पीसागन से आक्षेपित पट्टा से सम्बन्धित भूखण्ड की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तपश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गयी।

बहस प्रारंभ होने पर वकील निगरानीकार ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की पुष्टि करने हेतु अवगत कराया कि अप्रार्थी श्री नारायण गोल्या ग्राम जेठाना का मूल निवासी है एवं पुराना कब्जाधारी होने से उसकी पात्रता होने के कारण ही उसे

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

नियमानुसार व विधि के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूखण्ड का पट्टा (पट्टा संख्या 10 बुक संख्या 706 दिनांक 07.02.2022 जारी दिनांक 13.05.2022 क्षेत्रफल 298.12 वर्गगज) सद्भावनापूर्वक एवं नियमों के अन्तर्गत जारी किया गया। तत्समय राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में दर्शित हो रहा था। किन्तु तत्पश्चात राज्य सरकार के सर्वे कार्यक्रम में उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत जेठाना की आबादी भूमि में दर्शित नहीं होने के कारण उक्त पट्टा गैरकानूनी व अवैद्य होने से निरस्त योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया कि आबादी भूमि के सीमाज्ञान की स्पष्ट जानकारी सर्वे अभियान से पूर्णत स्पष्ट होने के उपरान्त उक्त पट्टा अवैद्य हो जाने के कारण उक्त आक्षेपित पट्टा निरस्त योग्य है।

वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी वर्षों से उक्त भूखण्ड पर कब्जे में था तथा सद्भाविक कब्जे के आधार पर ही उसने ग्राम पंचायत में आबादी भूमि के पट्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत द्वारा सर्वप्रथम इस तथ्य की जाँच की गयी कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत की सीमा क्षेत्र का निवासी है या नहीं। इस तथ्य की संतुष्टि उपरान्त कब्जे की जाँच में पाया गया कि आवेदित भूखण्ड पर अप्राथी ही वर्षों से तन्हा काबिज है तथा कब्जा उसी का है। अप्रार्थी द्वारा आवेदनशुदा भूखण्ड की उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में आबादी भूमि तथा दक्षिण में आम रास्ता है, इसकी पुष्टि पट्टे के पृष्ठ भाग पर स्थित सीमांकन से भी होती है एवं ग्राम पंचायत द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि उक्त भूखण्ड खसरा नम्बर 2872 में स्थित है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने से पूर्व आवंटन कमेटी का गठन किया गया तथा कमेटी द्वारा कब्जा जाँच कर तथा आवासीय सीमा देखकर ही उक्त भूखण्ड का पट्टा पंचायतीराज अधिनियम के तहत जारी करने की अनुशंषा की गयी, जिसके आधार पर उक्त आक्षेपित भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त पट्टा नियमानुसार तथा पंचायतीराज अधिनियम के तहत प्राप्त किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार की धोखाधडी नहीं है। उन्होने यह भी कथन किया कि अप्रार्थी ने उक्त पट्टा प्राप्त करने के बाद उप पंजीयक कार्यालय पीसांगन से पट्टा पंजीकृत करवा लिया है तथा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लोन भी प्राप्त किया है। उक्त सभी कृत्य पट्टा जारी होने के बाद किये गये है तथा राजस्व न्यायालय को पंजीकृत पट्ट को निरस्त करने के अधिकार नहीं है। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर वकील अप्रार्थी ने विचाराधीन निगरानी को निरस्त करने तथा ग्राम पंचायत जेठाना द्वारा जारी पट्टा को यथावत रखने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली, रिकॉर्ड व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत जेठाना द्वारा आक्षेपीय पट्टा संख्या 10 बुक संख्या 706 दिनांक 07.02.2022 जारी दिनांक 13.05.2022 क्षेत्रफल 298.12 (खसरा नम्बर 2872) वर्गगज जारी किया था। मौका पर्चा दिनांक 26.11.2021 के अनुसार उक्त भूखण्ड, ग्राम जेठाना के खसरा नम्बर 2872 आबादी भूमि में स्थित है। तहसीलदार पीसांगन की रिपोर्ट दिनांक 01.07.2025 के अनुसार अप्रार्थी श्री नारायण गोल्या पुत्र श्री छोटू गोल्या का मकान, खसरा नम्बर 2872 में स्थित नहीं होकर खसरा नम्बर 2868/6430 में स्थित है जो कि ग्राम पंचायत जेठाना के नाम दर्ज चारागाह भूमि है।

किन्तु पत्रावली पर यह तथ्य भी स्पष्ट है कि उक्त पट्टे को प्राप्त कर अप्रार्थी द्वारा उसे दिनांक 30.05.2022 को कार्यालय उप पंजीयक पीसांगन में पुस्तक सं 1 जिल्द सं 101 पृष्ठ सं 90 क्रम सं 202203350102284 पर पंजीबद्ध करवा लिया है।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन निगरानी याचिका को निरस्त किया जाकर, ग्राम पंचायत जेठाना द्वारा श्री नारायण

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

गोल्या के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 10 बुक संख्या 706 दिनांक 07.02.2022 जारी दिनांक 13.05.2022 क्षेत्रफल 298.12 वर्गगज को यथावत रखा जाता है। अतः यदि निगरानीकार उक्त पंजीकृत आक्षेपित पट्टा को निरस्त करना चाहता है तो सक्षम न्यायालय में नियमानुसार वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

आदेश आज दिनांक 27/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(ज्योति [illegible])
अपर कलक्टर
अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
* अजमेर *